

फ्रीहोल्ड विलेख

झांसी विकास प्राधिकरण द्वारा आबंटित भूमि/भवन का स्वामित्व प्रदान किये जाने हेतु यह अनुबंध सं० ई० सन् 2023 मास के वे दिन (तदनुसार शक सम्बत् के मास के दिन को जिसको एतदपश्चात् प्रथमपक्ष कहा गया है।

तथा

श्री/श्रीमती/कुमारी पिता/पति

(पेशा-) एवं श्रीमती

(पेशा-) निवासी-

.....(जिसको एतदपश्चात् द्वितीयपक्ष कहा गया है) मध्य निष्पादित किया जाता है। (श्री की पहचान क्रमशः आधार कार्ड संख्या तथा से की गयी) एवं सम्पत्ति अधिकारी झांसी विकास प्राधिकरण झांसी की पहचान आधार कार्ड संख्या 909764190367 द्वारा की गयी।

और चूंकि इस विलेख की अनुसूची में निर्दिष्ट भूमि/भवन द्वितीयपक्ष को आबंटित हुआ था। आगे अभिव्यक्त अधिकारों एवं शर्तों के अधीन अनुसूची में निर्दिष्ट भूखंड का स्वामित्व रू० (रूपया मात्र) के एवज में द्वितीयपक्ष को हस्तांतरित किया जाना है।

और चूंकि प्रथमपक्ष द्वारा द्वितीयपक्ष को अनुसूची में वर्णित उच्च आय वर्ग भूखण्ड संख्या स्थित मेजर घ्यानचन्द नगर आवासीय योजना, झांसी का स्वामित्व आवासीय प्रयोजन हेतु दिया जाना स्वीकार कर लिया गया है।

और चूंकि जनपद झांसी की महायोजना/आसपास की भूमि के उपयोग के आधार पर वर्तमान में उक्त वर्णित भूखण्ड का आवासीय उद्देश्य हेतु उपयोग किया जाना है।

अतः द्वितीयपक्ष द्वारा अनुसूची में वर्णित भूमि का उपयोग महायोजना में निर्दिष्ट आसपास की भूमि के भू-उपयोग के अनुसार ही किया जायेगा।

अतः उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के संबंध में समय-समय पर यथासंशोधित उ०प्र० नगर योजना और विकास अधिनियम,1973,उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद अधिनियम,1965 संपटित

हेतु द्वितीयपक्ष द्वारा प्रथम पक्ष को रूपया रूपया केवल (रूपया

..... मात्र) स्थित बैंक चालान संख्या दिनांक

द्वारा किये गये भुगतान (जिसकी प्राप्ति प्रथमपक्ष एतद्वारा स्वीकार करते हैं) के प्रतिफलस्वरूप तथा आगे वर्णित प्रसंविदाओं और शर्तों जिनका द्वितीयपक्ष पालन करेगा, को ध्यान में रखते हुये प्रथमपक्ष द्वारा वह भूखण्ड, उनकी सीमाओं सहित जिसका विवरण इस अनुसूची में दिया गया है, और जो स्पष्टीकरण के लिए इस विलेख से संलग्न रेखाचित्र में लालरंग में दिया गया है, फ्री-होल्ड घोषित करते हैं, उस पर निजी स्वत्व प्रदान करते हैं, अतएव द्वितीयपक्ष, उसके दावाधिकारी तथा समानुदेशिती सदा के लिए उसे अपने अधिकार में रखेंगे । इस विलेख के निष्पादन के दिनांक से इसकी अनुसूची में वर्णित पट्टागत भूखण्ड पर द्वितीयपक्ष को निजी स्वत्व को प्राप्त हो जायेगा, तदानुसार द्वितीयपक्ष इस भूखण्ड को प्रभावी विधि, नियमों एवं विनियमों के अधीन रहते हुये अपनी इच्छानुसार प्रयोग करने अथवा हस्तान्तरण के लिए स्वतंत्र रहेगा।

इस विलेख की अनुसूची में वर्णित भूखण्ड या उस पर निर्मित अथवा इस विलेख की अनुसूची में वर्णित भूखण्ड या उस पर निर्मित अथवा निर्माण किए जाने वाले भवन पर करों का भुगतान द्वितीयपक्ष करेगा।

इस विलेख से दोनों पक्षों या उसके दावेदार के बीच कभी भी या उसके संबंध में इसके विषय पर उत्पन्न होने वाले विवाद, मतभेद अथवा प्रश्न राज्य सरकार के आवास विभाग को संदर्भित किये जायेंगे और उन पर राज्य सरकार का निर्णय अंतिम होगा तथा दोनों पक्षों पर बाध्यकारी होंगे। इस विलेख के निष्पादन एवं पंजीयन के संबंध में होने वाले संपूर्ण व्यय द्वितीयपक्ष द्वारा वहन किया जायेगा।

यह स्पष्ट किया जाता है कि इस विलेख में जब तक कि उनकी इस प्रकार की व्याख्या प्रसंगों से असंगत न हो। प्रथम-पक्ष में उसके पद के उत्तराधिकारी एवं समानुदेशितियों का तथा द्वितीयपक्ष में उसके दावाधिकारियों, निष्पादकों, प्रबंधकों, प्रतिनिधियों एवं समानुदेशियों का अन्तर्भाव सदैव रहेगा। इस विलेख के साक्ष्य में द्वितीयपक्ष और प्रथमपक्षों की ओर से एवं उसके द्वारा अधिकृत पदाधिकारी ने उक्त तिथि को हस्ताक्षर कर दिये हैं, जो उनके हस्ताक्षर नीचे लिखी हैं।

इस विलेख में अभिविष्ट अनुसूची निम्नांकित है :-

भूखण्ड संख्या स्थित मेजर ध्यानचन्द नगर आवासीय योजना वर्ग मीटर

जिसकी चौहद्दी निम्न प्रकार है :-

पूरब में : सड़क 18.00 मीटर
पश्चिम में : भूखण्ड ----- Type Plot
उत्तर में : भूखण्ड संख्या -----
दक्षिण में : भूखण्ड संख्या -----

फ्री-होल्ड के लिए द्वितीयपक्ष ने संपूर्ण धनराशि रूपया चालान संख्या/दिनांक/..... इत्यादि के द्वारा जमा कर दी है।

क्रेता के हस्ताक्षर उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण/सक्षम प्राधिकारी की ओर से तथा उनके द्वारा प्राधिकृत।

श्री एवं श्रीमती
निवासी-

साक्षी (1)-

निवासी-

पेशा-

आधार कार्ड संख्या-

मोबाईल-

साक्षी (2)-
निवासी-
पेशा-
आधार कार्ड संख्या-
मोबाईल-

उत्तर प्रदेश शासन कर एवं निबन्धन अनुभाग-7 के शासनादेश संख्या 13/क0नि0
-7-440/11 -2015 -700(111)/13 दिनांक 30.03.15 में दिये गये निर्देशों के क्रम
में आबंटियों को एक वर्ष के अन्दर निबन्धन कराकर कब्जा प्राप्त पर प्रतिफल की
धनराशि पर स्टाम्प शुल्क अदा करने के निर्देश दिये गये हैं । आबंटी को उक्त के क्रम
में निबन्धन हेतु पत्र संख्या दिनांक द्वारा सूचित
किया गया है । भूखण्ड संख्या का भूमि मूल्य रू0
एवं लीजरेण्ट रू0 कुल रू0 (.....
..... मात्र) है , पर नियमानुसार 7 प्रतिशत की
दर से स्टाम्प शुल्क आंकलित करते हुये रू0 का स्टाम्प
शुल्क अदा किया जा रहा है । आबंटी को अभी कब्जा नहीं दिया गया है ।

नोट:- श्री जितेन्द्र सिंह सहवार सम्पत्ति अधिकारी झांसी विकास प्राधिकरण द्वारा श्री दीपांकर पुत्र स्व० श्री देवेन्द्र नाथ यादव निवासी के०बी०-९ कर्पूरी पुरम गोविन्द पुरम गाजियाबाद उ०प्र० को उपनिबन्धक कार्यालय में सम्पत्ति अधिकारी द्वारा निष्पादित लेखा पत्रों को प्रस्तुत करने तथा पंजीकृत कराने हेतु तस्दीकसुदा मुख्तार नामा दिनांक 22.05.2023 द्वारा अधिकार दिया गया है । तसदीक सुदा मुख्तार नामा कार्यालय उप निबन्धक झांसी सदर प्रथम दिनांक 22.05.2023 को बही संख्या-6 जिल्द संख्या 1 के पृष्ठ 305 से 312 तक के क्रमांक- 4 में पंजीकृत हुआ है ।